-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 01.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना अतर्रा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा के साथ किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी अतर्रा सुश्री प्रतिज्ञा सिंह के नेतृत्व में दिनांक 31.05/01.06.2026 की रात्रि को थाना अतर्रा पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा पुलिस को रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि सेमरिया मिर्दहा साई मंदिर के आगे दो संदिग्ध व्यक्ति एक मोटरसाइकिल के साथ खड़े है। सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर पूछताछ करने की कोशिश की तो दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर भागने लगे जिसे पुलिस द्वारा घेराबन्दी कर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया तथा तलाशी लेते हुए कड़ाई से भागने का कारण पूछा गया तो दोनों ने बताया कि उन्होने ये मोटरसाइकिल दिनांक 28.05.2026 को कानपुर रमाबाई चौराहे से चोरी की थी और पकड़े जाने के डर से नम्बर प्लेट बदलकर किसी राहगीर को बेचने के लिए आये थे। तलाशी में अभियुक्त गुरु प्रसाद के कब्जे से एक अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल व अवैध तमंचे को कब्जे में लेकर थाना अतर्रा में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

बरामदगी-

- 01 मोटरसाकिल KTM (चोरी की)
- 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मुकेश कुमार पुत्र विजय बहादुर निवासी नगनेधी थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. गुरु प्रसाद पुत्र अशोक निवासी नगनेधी थाना अतर्रा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 200/26 धारा 317(2)/319(2)/318(4)/338/336(3)340(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0 201/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अतर्रा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 358/26 धारा 303(2) बीएनएस थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुरु प्रसाद उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 56/15 धारा 379/411 भादवि थाना अतर्रा जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुकेश कुमार उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0 33/26 धारा 296 बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री संजीव कुमार चौबे थानाध्यक्ष अतर्रा
2. श्री गौरव प्रताप सिंह चौकी प्रभारी कस्बा अतर्रा
3. उ0नि0 श्री बालमुकुन्द शुक्ला
4. कां0 पंकज द्विवेदी
5. कां0 रवीन्द्र श्रीवास
6. रि0कां0 प्रदीप यादव